न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 639–एक/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 04–12–2012 पारित द्वारा आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद, प्रकरण कमांक 48/अपील/2011–12

.....

राजाराम आ0 रामेश्वर गौर
निवासी ग्राम फुलड़ी तहसील रहटगॉव
जिला हरदा म0प्र0

..... आवेदक

विरूद्ध

1–श्रीमती अनुसुईयाबाई पत्नि तुलसीराम गौर
निवासी महेन्द्रगांव तहसील सिराली जिला हरदा
2–श्रीमती शारदाबाई पुत्री रामेश्वर गौर पत्नी राधेश्याम
निवासी ग्राम बालागॉव तहसील हरदा जिला हरदा
3–श्रीमती सतीबाई पत्नि जगदीश प्रसाद गौर
निवासी रहटगांव तहसील रहटगांव जिला हरदा
4–श्रीमति कृष्णाबाई पत्नि पूनमचंद गौर
निवासी ग्राम फुलड़ी तहसील रहटगॉव जिला हरदा
5–श्रीमती रेखाबाई पत्नि रामगोपाल गौर
निवासी बालागांव तहसील व जिला हरदा
6–किशोरीलाल आ0 रामेश्वर गौर
निवासी ग्राम फुलड़ी तहसील रहटगॉव जिला हरदा
7–श्रीमती शांताबाई बेवा रामेश्वर गौर
निवासी ग्राम फुलड़ी तहसील रहटगॉव जिला हरदा

..... अनावेदकगण

.....

श्री संदीप दुबे, अभिभाषक–आवेदक
श्री ओ.पी.सकरगाये, अभिभाषक–अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 28/5/16 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–12–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि नामान्तरण पंजी कमांक 9 पर पारित आदेश दिनांक 23–7–1998 जिसके द्वारा आवेदक ने सर्वे कमांक 251/2 रकबा 4.95 एकड़ में से 4.90 एकड़ पर अपना नामान्तरण करा लिया था, के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील प्रकरण कमांक 28/2010–11 दर्ज कर दिनांक 29–9–2011 को आदेश पारित कर ग्राम पंचायत का आदेश दिनांक 23–7–1998 निरस्त किया गया एवं मृतक भूमिस्वामी रामेश्वर के सभी वारिसानों के नाम दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये तथा प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि वह जॉच कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर आदेश पारित करें। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत की गई और आयुक्त द्वारा दिनांक 4–12–2012 को आदेश पारित कर अपील निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29–9–2011 स्थिर रखा गया । आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण दिनांक 26–2–2016 को आवेदक के अभिभाषक के इस निवेदन को स्वीकार करते हुये आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि वे एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे, परन्तु उनके द्वारा आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये है, अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उठाये गये आधारों एवं अनावेदक के अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत लिखित तर्को के आधार पर किया जा रहा है ।

4/ आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निगरानी मेमों में निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) अनुविभागीय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील अवधि बाह्य थी, इसके बावजूद भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील स्वीकार करने में विधि की गंभीर भूल की गई है, इस ओर आयुक्त द्वारा भी ध्यान नहीं देकर आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(2) अनावेदक कमांक 1 लगायत 5 एवं 7 व आवेदक आपास में सगे भाई–बहन है और प्रश्नाधीन भूमि सर्वे कमांक 251/2 रकबा 4.95 एकड़ मृतक भूमिस्वामी रामेश्वर की स्वअर्जित संपत्ति थी, उनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 18–5–1998 को पंजीयन कार्यालय से विधिवत् पंजीयन विभाजन पत्र का निष्पादन कराया गया तथा उसमें से रकबा 4.90 एकड़ आवेदक को प्रदान की गई थी, अतः पंजीकृत विलेख के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा आवेदक का नामान्तरण करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है ।

(3) पंजीकृत विकय विलेख के आधार पर किये गये नामान्तरण में हस्तक्षेप करने का अधिकार राजस्व न्यायालयों को नहीं है अतः अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा नामान्तरण आदेश में हस्तक्षेप करने में अधिकार रहित कार्यवाही की गई है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान को दृष्टिओझल कर कार्यवाही करने में विधि विरूद्ध कार्यवाही की गई थी और अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है ।

(5) उभयपक्ष के मध्य प्रश्नाधीन भूमि के स्वत्व के संबंध में व्यवहार वाद लंबित होने के पश्चात् भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है ।

5/ अनावेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) संशोधन पंजी में केवल आवेदक के हस्ताक्षर नहीं होकर सभी अनावेदकगण के हस्ताक्षर हैं और संशोधन पंजी को विधिवत् प्रमाणित किया गया है, इसके बावजूद अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 25–2–2005 निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

(2) रजिस्ट्रेशन एक्ट के प्रावधान के अनुसार हक त्याग विलेख का पंजीकरण आवश्यक है और अनावेदकगण द्वारा आवेदक के पक्ष में हक त्याग नहीं किया गया है । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार पुत्रियों को भी उसके भाईयों के समान प्रश्नाधीन संपत्ति में स्वत्व प्राप्त है और प्रश्नाधीन भूमि में केवल पिता एवं भाई को बटवारा करने का अधिकार नहीं होकर पुत्रियों को भी बटवारा करने का अधिकार प्राप्त है ।

(3) प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में संशोधन पंजी पर पटवारी के कार्यालय में आवेदक द्वारा धोखाधडी से मॉ शांतिबाई एवं एक बहन के हस्ताक्षर कराये जाने मात्र से संशोधित प्रावधानों का परिहार्य कदापि नहीं होता है, इस कारण आवेदक की ओर से प्रस्तुत तर्क विचार योग्य नहीं है ।

6/ उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित किया गया है, जो कि संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है, क्योंकि संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत नामान्तरण पंजी पर बटवारा आदेश पारित नहीं किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत के समक्ष पंजीकृत विभाजन पत्र भी प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का आदेश निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है कि उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर विधिवत् जॉच कर प्रकरण में आदेश पारित करें । चूँकि अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश के पालन में तहसीलदार द्वारा कार्यवाही कर आदेश पारित किया जाना है, जहॉ उभयपक्ष को पक्ष समर्थन का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश वैधानिक एवं उचित आदेश होने से उसकी पुष्टि करने में आयुक्त द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है, इसलिये आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–12–2012 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

8/ यह आदेश निगरानी प्रकरण क्रमांक 638–एक/2013 पर भी लागू होगा । अतः इस आदेश की एक प्रति उक्त निगरानी प्रकरण में सलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर